

बिहार सरकार
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं०--प्र०-14-150/2025

खाद्य/पटना, दिनांक--

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना-1

विषय:- बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता फोरमों में शौचालय निर्माण/अपग्रेड हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति रु० 15,75,000/- को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-515 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता फोरमों यथा सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर में तीन शौचालय (पुरुष, महिला एवं दिव्यांग) प्रत्येक हेतु एक-एक के निर्माण/अपग्रेड किये जाने हेतु रु० 25,000/- प्रति शौचालय की दर से कुल 63 शौचालय हेतु कुल रु० 15,75,000/- (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान की गई थी।
3. प्रशासनिक स्वीकृति देने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में लगातार प्रथम अनुपूरक के माध्यम से शौचालय निर्माण/अपग्रेड हेतु 15.75 लाख रुपये की राशि का उपबंध भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 के मुख्यशीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष-051 निर्माण, उप शीर्ष-0425 स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा विपत्र कोड-03-4059600510425 में कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया तथा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 5828 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त राशि से शौचालय का निर्माण/अपग्रेड कराना संभव नहीं है।
4. उपर्युक्त कंडिका-03 में वर्णित कारणों के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-515, दिनांक 05.03.2019 के द्वारा बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता फोरमों यथा सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर में तीन शौचालय (पुरुष, महिला एवं दिव्यांग) प्रत्येक हेतु एक-एक के निर्माण/अपग्रेड किये जाने हेतु रु० 25,000/- प्रति शौचालय की दर से कुल 63 शौचालय हेतु कुल रु० 15,75,000/- (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द की जाती है।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— प्र०-14-150/2025

खाद्य/पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:—सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:— प्र०-14-150/2025

खाद्य/पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:— प्र०-14-150/2025

खाद्य/पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:— प्र०-14-150/2025

खाद्य/पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:—निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:— प्र०-14-150/2025

5976

खाद्य/पटना/दिनांक 24/09/2026

प्रतिलिपि:— सचिव कोषांग/बजट शाखा, प्रशाखा-05 एवं आईटी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।